09-06-25 वकील प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पक्षकारों का आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया। वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरमीम तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्या सोनी)
RAS